

2018/00248

फर्द अहकाम  
(नियम-26)

न्याय आपकें द्वारे

अज अदालत.....उप जिला कलक्टर मुकाम रायसिंहनगर

उमेश कुमार १०

बनाम

सरकार

किस्म मुकदमा

हजारी लाल १९२

मुकदमा नं

२५५१८

दुही

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व त अहकाम इस हुकम तामीत में जारी
२५/५/१८	<p>आज यह पत्रावली तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक/१८/ १९६ दिनांक २५/५/१८ के द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आप के द्वारे २०१८" कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत में प्रार्थीगण के नाम चक ३३९५ की जमाबन्दी सम्बन्ध २०६८-२०७१ के खाता नं. ११५ में खातेदार हजारी लाल के अंकित है। जिसका नाम हजारी लाल है। जिसकी हजारी लाल की दुरुस्ती की जाने की अभिशाषा की है।</p> <p>उक्त प्रकरण में तहसीलदार(भू.अ.) रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक २५/५/१८ की पृष्ठ मजमआम में उपस्थित ग्राम वारिसान व सरपंच ने की है। उक्त विवेचन के आधार पर वाके चक ३३९५ के खाता नं. ११५ में दर्ज खातेदार हजारी लाल की दुरुस्ती की जाती है। बाकी अकन बदस्तुर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती की जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार के नाम जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>आदेश खुले मजमआम में सुनाया गया।</p>	

उप जिला कलक्टर  
राजस्व लोक अदालत  
न्याय आपके द्वारे २०१८  
कैम्प कोर्ट २२ PTD  
सपरव्हाधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर